संख्या -36038/2/2008- स्था (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण :- एक विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों का भरा जाना ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 27.11.2009 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों हेतु पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है । इस विभाग के दिनांक 26 अप्रैल, 2006 के का.ज्ञा. सं.36035/8/2003- स्था (आरक्षण) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ इस विभाग के दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा. सं.36035/3/2004- स्था (आरक्षण) में दिए अनुदेशों के अनुसार वर्ष 1996 से आरंभ करते हुए आरक्षण रोस्टर संबंधी रजिस्टर तैयार करने और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण को चिह्नित (उद्दिष्ट) करने की अपेक्षा की गई थी । इस का.ज्ञा. में यह प्रावधान किया गया है कि यदि इस प्रकार चिह्नित कुछ अथवा सभी रिक्तियां आरक्षण द्वारा नहीं भरी गई थी और ये रिक्तियां, चाहे इस कारण से कि संगत समय पर आरक्षण बिन्दु उपयुक्ततः चिह्नित नहीं किए गए थे अथवा नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे, सक्षम व्यक्तियों द्वारा भर ली गई थीं तो ऐसी स्थिति में ऐसे अप्रयुक्त आरक्षण को अग्रेनीत किया हुआ माना जाएगा । कुछ ऐसी रिक्तियां हो सकती हैं जो दिनांक 26.4.2006 के का.ज्ञा. के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो गई हों । ऐसी सभी रिक्तियों को उपर्युक्त उल्लिखित विशेष भर्ती अभियान के दौरान भरने का निर्णय किया गया है ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से उपर्युक्त निर्णय को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जाता है ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष : 23092158

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारी ।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग और मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
4. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
5. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
6. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
7. रेलवे बोर्ड ।
8. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सेवा प्रमाण, (उप सचिव/सी.एस.।/उप सचिव सी.एस.।।) ।
10. नि:शक्त व्यक्ति हेतु मुख्य आयुक्त का कार्यालय ।
11. प्रति फाइल सं. 36035/8/2003- स्था आरक्षण ।